

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित **PUBLISHED BY AUTHORITY**

सं. 506] No. 506

नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 8, 2009/भाद्र 17, 1931

NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 8, 2009/BHADRA 17, 1931

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 सितम्बर, 2009

सा.का.नि. 647(अ).—केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनयम, 2000 की धारा 87 की उप-धारा (2) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2003 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, संचार और सचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक सांविधानिक निकाय प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय में राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धित का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक का कार्यालय, राजपत्रित और अराजपत्रित पद भर्ती नियम, 2009 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
 - 2. लाग होना.—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ । में विनिर्दिष्ट पदों पर लाग होंगे ।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धति, आय्-सीमा, अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।
 - 5. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पित या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह, किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भृतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
(1) उप नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	10000 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400- 67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीघे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
_7	8
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
	का विकासिकार के पास के जाएक स्पृत्त के किया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	अवधि, यदि	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन वि जाएगा

12

प्रतिनियुक्ति:-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) समत्ल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) (i)* किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिर्क क्षेत्र में पन्द्रह वर्ष का अनुभव ; या
- (ii) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी

क्षेत्र में बारह वर्ष का अनुभव ; या

ही.औ. इं.ए.सी.सी.) या समतुत्य के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के कि अनुभव ; या (iii) विज्ञान या कम्प्युटर उपयोजन में रनातकोतार डिग्री या 'बी' रतर इलेक्ट्रोनिक्स विभाग अधिकृत पाठ्यक्रम

प्रीह ; क्रम्नुम्ह कि के एक में हिंदे के किमीडिश । निष्ठमु शाम के . डि. हुए . पि में निष्ठनीरिष्ट्रं । प्र नाहकी (vi)

--: ई एनिछांव में एषठी त्रष्टीतिन्मने गिरिही त्रविश्व * **। घमनुस तक विच कि मानुष्य में सिन्न विश्वांत किपीडिश । मानुस (ए)

विज्ञान, भौतिक और अंकगणितीय विज्ञान और ऐसी अन्य विषय । रुज्यप्त , रिप्रनीपिड़ एकिनार्जिक , रिप्रनीपिड़ जिंदिर के इलीनियरी, इलीनियरी, इलीनियरी हिम्मिन होगिनियरी कम्पूर

--: ई णप्रीधन-िति ए प्रीह नयन्यीयक ,माकि , महाएडी

नाशामम फर्गणीक-इ --

ि एक कार्या के प्राचान के प्राचान के प्राचान है है। जिसके अंतर्गत हिर्माक्ष के प्राचन कि प्राचन के प्राचन

मि रिकिनाए कि किमाम अप इंटरनेट प्रियोगिको की जानकारी, जिसके अंतर्गेष्ट्रीय दूरसंदार संघ मानको की जानकारी भी

4

। ।। ।। हे शिक्षा में भ्रमाम के फिनीकिशिर क शिक्षप्रम कराए प्राकप्रम प्रद्रिक फार्क एफानाष्ट्र १५० । गिक्षप्र वि फानिश र एक प्रिप्थ में गिष्ट्रा कार्ष्ट्र क एडिंगिल कि तिमिष्ट नयन तिर्गा से मल काप्स इह गागाह दिकिशिह कि , होग्हें के छेंग्छ एउतांनाएड : एउहांनाएड

मिधित से डीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनिधुक्ति की अविध है, साधारणतया पांच वर्ष से एक में हिन्दी एक स्थाप के अवाधे कि हो है के अवश्य प्रदेश के अवश्य हो है कि एक एक

। गिरिड डिम् किशिह मि । तिरिंड डिम् किशिह

भुतपदे सीनेको के लिए:

ने निर्मात कार्य है कि क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स क्रिक्स के क्रिक्स क्रि प्राप्त के थीं के के के कर कि कि के कि कि पाएगाए एकी प्राप्ति कि कि कि मि है कि में अंगर के कि कि कि कि कि कि

		शिकशिस्
	सदस्य	3. अपर सिव, भारत सरकार के स्तर का एक
Lie 1 to Judge 1 sign filler	सदस्य	कहंछनी एप्रक्रियाए नागामर .ऽ
and drawn and	RMR	ा सविव, सूचना प्रौद्यमिकी विभाग
તાર્યુ નફી દોતા		: गिर्मेष ५कानमि ६ च्छोनिम्मेन निमिष्ट नीहर्षर प्रगिगम्धी
de se proceso de midera a care	00 III	- अर्थ में अर्थ के स्टाइन्स्ट्राय के स्टाइन्स्ट्राय के स्टाइन्स्ट्राय
पाएगा		
ाटकी रिमाप्र मि गिधार किंद किं	4,6	
यों में किनीश्रीश्री मकी में निरक मिष		ाम्ङभंभ किए कि ई निमिष्न निर्हार प्रियमिन निष्

1	2	3	4	5	6
(2) उप नियंत्रक (वित्त और विधिक)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	में समूह 'क'	10000 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) (i) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक डिग्री और चार्टर्ड एकाऊंटेंसी या लागत और लेखा संकर्म संस्थान या कंपनी सचिव या कारोबार प्रशासनजन प्रशासन स्नातकोत्तर या वाणिज्य स्नातकोत्तर या वित्तीय प्रशासन में डिप्लोमा के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।
- (ii) वांछत्तीय अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या साइबर विधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा, और
- (ग) (i) वित्तीय मामलों के क्षेत्र में, जिसमें विधिक मामलें प्रमुख हो, पन्द्रह वर्ष का विधिक व्यवसाय अनुभव ; और
- (ii) कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव या कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव और ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य जैसे विधिक मामलों या ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित है ।

स्थानांतरण : स्थानांतरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पदश्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानांतरण केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं।

13 A 16 A	Herald A	14	Sign of the second
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता	and the second
1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष		
2. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक	सदस्य		
3. अपर सचिव, विधि मंत्रालय	सदस्य		

1	2	3	4	5	6
(3) उप नियंत्रक (अन्वेषण)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	में समूह 'क'	10000 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

8	9 1	0	11
नहीं होता लागू न	नहीं होता लागू न		या स्थानान्तर लन) द्वारा
	् नहीं होता लागू न	व	

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8900 रु० ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु० वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में रनातक डिग्री, कम्प्यूटर और कार्यक्रमों, नेटवर्किंग और इंटरनेट पर कार्य करने की जानकारी और विधि रनातक या साइबर विधि और अन्य संबंधित विधियों में रनातकोत्तर डिप्लोमा ।
- (ग) (i) कार्मिक, प्रशासन, अन्वेषण, सतर्कता में पन्द्रह वर्ष का अनुभव, और
- (ii) साइबर अपराधों के अन्वेषण में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव सम्मिलित है ।

स्थानांतरण : स्थानांतरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पद या श्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानांतरण केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं ।

13		14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता है
1. सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष	in a solder forth
2. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक	सदस्य	PARTY IN THE PARTY NAMED IN THE PARTY NAMED IN
3. अपर सचिव, भारत सरकार के स्तर का एक अधिकारी	सदस्य	

1	2	3	4	5	6
(4) सहायक नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	2* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन के साथ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11 Plant
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

12

प्रतिनियुक्ति:-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) आवश्यक अर्हताएं (i)* किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातक डिग्री के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेरह वर्ष का अनुभव ; या

ार ; घमने प्र वर्ष वर्ष का अनुभव ; या किमीडिर् ान्डिप थाप्र के सिडी प्रतिकतान्त्र में किमीडिर्श ए िप्रनिधिड़े में एलाडिविड्डिन प्राप्ताप्रधनाम भिकी (ii)

ाए ; व्रम्मूम्ह तक विव इप्रत में हिंड के किर्गीडिश निवृष्ट छाए के ष्र्याप्त हो । (.सि.सि.पृ.इ.सि.वि) (iii) विज्ञान या कम्प्रदर उपयोजन में रनातकोत्तर डिग्री या 'बी' रतर इलेक्ट्रोनिक्स विभाग अधिकृत पाठकम

प्रीह ; घम्मुह क के ठाह में हिंद के किपीड़िया निष्मु शाम के . डि. हुए. पि में रिप्रनीपिड़े ए नाहुरी (vi)

**। इसन्स तक वेष्ठ इ मननप्र- में हिन्ने थिंग्ने किपीडिरि । निस्पे (ए)

--: ई प्रिक्शंष्ट में प्रिष्ठी त्रछीलीत्मिने गिरिविडी त्रविश्प्रध *

ा प्रषठी फन्स भिर्प और नाइवी घतिणीग्कंड और किती अन्य विषय । कम्पुटर इंजीनियरी, इत्रेक्ट्रानिक्स और संबार इंजीनियरी, इत्रेक्ट्रिकल इंजीनियरी, इत्रेक्ट्रानिक्स इंजीनियरी,

--: ई णर्गायन-निति- ए प्रांध नयन्यात क्षायान और या नीति-नियारण ह ** सुवना प्रोधोध ए कप ए में रिक्ष त्रिक्तानान में व्युसंगत अनुभव में विश्वेशन किंगीडिंप निष्ये भें

नायामम् फ्याणीक-इ --

-- ई-वाणिज्य उपयोजन की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षित वेब सेवाएं, क्लाईट ब्रोवसर इंटरफेस

-- पब्लिक कुंजी सांकेतिक लेखनविद्या की जानकारी, जिस्के अंतर्गत डिस्ताक्षर के माध्यम से प्रमाणीकरण

रिकिनाए कि किनाम अप अहम्पेट्र प्रिक्षिक केमिल किमिल कि किनिशि उन्प्रेड्ड प्रीह एकी इन्

फराप्र प्राकेशर प्रदिक् फिर्क एफ्रांमाष्ट्र १४५० । गान्किए डि फर्लिमार के एक थि। यह विविद्य के एक्रीकिन कि निमिष्ठ नधर निर्धार के प्रत्य कार्या उठ गाणाह शिकधिह कि , निर्धार के ध्रेष्य पण्नांनाष्ट्र : गण्डांनाष्ट्र

। गार्नि किप्पर में रिमाम के फिनीकिशिर के जिकाम

मि गिरिही ए निर्मा किसी ए फिर्क के प्रावर्ग प्रिक्त की गिरिह के क्रिक्त कि कि

। तिरिड डिम् किशिर मि कि जांग एकाण अला के से ही शिक्त कि कि कि कि मिर्गुरिनीय अप उप खाद्य पड़ा कि कि

। गिर्मंड डिम् किशिर रि विष्ट

: गृही के किनिरि है प्रहार

न है ग्राप्तेशस त्रिक्ति प्रीध वस्पृष्ट त्रिक्षित साप केनली प्रीध है लाव नाल एकी त्रिक्तानाष्ट्र में वेलती एउ है लाव निह त्रवृत्तावर् प्रति के बीग्रह कि वेग्र कर कर कि नाम्यार परकी प्राप्ती मानी के त्रिवृद्धि कि में विवेश के कि माने कि विवेश के

· 有等等。 美术		सरकार अथवा इसके समतुत्य स्तर का एक अधिकारी
	, भारत - सदस्य	महाम म्हिर्म हे एएहि। हे एएहि स्वाप्त संज्ञाह है संवुद्ध
	- सदस्य	महानिदेशक (भारतीय कम्प्युटर आपात अनुक्रिया दल) या समतुल्य
	- अध्यक्ष	ागम्ही किपिछिर । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।
तामू नही होता		: गिर्ने प्रकालम कि त्राधीलान्यनी तीमीस तीर्ह्या ए। गिर्मा
t l		13

1	2	3	4 4	5	6
(5) सहायक नियंत्रक (वित्त और विधिक)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	8900 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) (i) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक <mark>डिग्री और चा</mark>र्टर्ड एकाऊंटेंसी या लागत और लेखा संकर्म संस्थान या कंपनी सचिव या कारोबार प्रशासनजन प्रशासन स्नातकोत्तर या वाणिज्य स्नातकोत्तर या वित्तीय प्रशासन में डिप्लोमा के साथ किसी विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा ।
- (ii) वांछनीय अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या साइबर विधि में स्ना<mark>तकोत्तर डिप्लो</mark>मा,
- (ग) (i) विधिक व्यवसाय में तेरह वर्ष का अनुभव और वित्तीय मामलों के क्षेत्र में, जिसमें विधिक <mark>मामलें प्रमुख</mark> हो, अनुभव ; और
- (ii) कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव या कारोबार प्रबंध, व्यापार, उद्योग, बैंकिंग जैसे वित्त के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव और ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य जैसे विधिक मामलों या ई-शासन, नेटवर्किंग, बौद्धिक संपदा अधिकार, साइबर विधि, ई-वाणिज्य के क्षेत्र में शैक्षणिक अनुभव सम्मिलित है ।

स्थानांतरण : स्थानांतरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पद/श्रेणी में स्थायी रूप से आमेलित हो सकेगा । ऐसा स्थानांतरण केवल केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं।

विभागी i) प्रमाप

ii) महा

iii) सूर स

(6) सा नियंत्रव (अन्वेष

ला

प्रतिनि

(ii) जि समतु

कार्यद्र स्नात

(ग) (i

(ii) ₹

सिफा

हिप्प इस से अ

Harris des principales de la companya de la company		14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	1.1	लागू नहीं होता
i) प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक/अपर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	अध्यक्ष	
ii) महानिदेशक (भारतीय कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल) या समतुल्य	सदस्य	
iii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से संयुक्त सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य स्तर का एक अधिकारी	सदस्य	

1	2	3	4	5	6
(6) सहायक नियंत्रक (अन्वेषण)	1* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	वेतन के साथ	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति या स्थानान्तरण (आमेलन) द्वारा

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में 8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड (वेतन बैंड 4) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा की हो ; और
- (ख) आवश्यक अर्हताएं : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में रनातक डिग्री, कम्प्यूटर और कार्यक्रमों, नेटवर्किंग और इंटरनेट पर कार्य करने की जानकारी और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक या साइबर विधि और अन्य संबंधित विधियों में रनातकोत्तर डिप्लोमा ।
- (ग) (i) कार्मिक, प्रशासन, अन्वेषण, सतर्कता में तेरह वर्ष का अनुभव, और
- (ii) साइबर अपराधों के अन्वेषण में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव ।

स्थानांतरण : स्थानांतरण उपबंध के अंतर्गत, जो अधिकारी आएगा वह सम्यक् रूप से गठित चयन समिति की सिफारिश के पश्चात् पद/श्रेणी में स्थायी रूप से आमैलित हो सकेगा । ऐसा स्थानांतरण केवल केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारों के अधिकारियों के मामले में प्रभावी होगा ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणत्या पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी । टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छ वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अवधि के भी सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और वि। अर्हताएं हैं ।

		13	-					14
विभागीय प्रोन्नति र	लागू न	नहीं होता						
i) प्रमाणन प्राधिक	a l							
ii) महानिदेशक (भ	य							
	ोकी विभाग/अन्य मंत्राल ॥ इसके समतुल्य स्तर व			त सचिव	ा, भारत	सदस	4	
1	2		3		4		5	6
(7) निदेशक (वित्त और प्रशासन)	1* (2009) *(कार्यभार के आध परिवर्तन किया जा सव		केन्द्रीय र में समूह पद समतुल्य		8700 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 37400-67000 रु0 वेतन बैंड 4		लागू नहीं होता	लागू नह होता
7	8	(9	10			11	
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता लागू		हीं होता	लागू नहीं होता		प्रति	नियुक्ति या र (आमेलन)	

12

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों के अधीन ए अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) ऐसे उप सचिव या संयुक्त निदेशक, 7600 रु0 ग्रेड वेतन के साथ 15600-39100 रु0 के वेतन बैंड में नियि आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच वर्ष सेवा की हो ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इ नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छण् वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

	॥४५ सदस्त	म ,घनीम	iii) सूत्रना प्रीरोगिकी किमाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से संयुक्त र राकशिर अथवा इसके समतुत्य रतर का एक अधिकारी
	सदस्य		ii) महानिदेशक (भारतीय कम्प्यूटर आपात अनुक्रिया दल)
	अध्यक्ष		कहांग्री ए५कशीए नागामए (i
लागु नही होता			: गिर्मे प्रकानमि कि मधीलीन्यनी तीमीए तीर्हार एगिएएवी
pl			13

लागू नही होता	निमू मही होता	15600-39100 + 5 डॉड मिर्फ 0स इस 0स् 0097 मिर्फ	प्रक्रिक् क् इमूह क क् इप समतुत्य	(2009) *3 5 प्राधाध के प्राम्धेतक)* (1ई 15काम 1ए 1धकी न्तेष्ठीप	कि वैज्ञानिक 'डि'
9	9	Þ	8	7	Į.

किकी ए : एडी प्रमिकताम्प्र में किणिडिए प्रीध माहित : ग्राप्तेश्वर प्रमिखांव
। 0yoftb0मए धाफ के किंध नाष्ट्रतीए 00 नकु (iii)
स्किनीठ्ठीड़ क्रिप्रमुख ाय स्किनीट्रक्ते या किनीट्रि क्षित्रप्रक्त या अनुप्रयुक्त या अनुप्रक्षि (ii) रिह्म माह्यवाद्वी इब्रम् मिकी प्रन्थ प्राप्त स्किनीट्रक्षेड़ श्रीह किनीट्रि धिडी प्राप्त ; प्रिडी नाह्यी श्रम्किनास्त्र क्षित्र किनाडिंग १०० हिन्
(i) फिसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रोद्योगिकों में कुल 60 इंजी सान्यता प्राप्त स्वाध स्वध स्व
8

। ०६०६५०० ह एन। इन्हे निष्य

एक या अधिक में विशेषतः प्रणालियों का हिजाइन, विकास, काथन्यित या रि में हिंदी त्रिक्ष त्रिक्ष विष्य किया प्रिक्ष विष्य किया है है। क फिथिएम भिायधीए कातान्त्र प्रहि वि हांए पृत्ती के फिथिएम भिायधीएह अनुभव : डाक्टरेट उपाधिधारी अभ्यथियों के लिए तीन वर्ष, रनातकोत्तर

--:,वम्ह्रास् , गिर्धायन-तिि

- -- ई-वाणिज्य उपयोजन की सुरक्षा, जिसके अंतर्गत नेटवर्क सुरक्षा, सुरक्षित वेब नाशामम् फ्याणाव-इ --
- ज्ञार मन्प्रउंड प्रमणि उड्डारू ,गृार्ध
- ई पि एरकिशामर रि मध्यम के प्रक्षात्मड -- पब्लिक कुमणे , जिलमाण कि ाड<mark>िमछि किनीकां प</mark>र्णक काली --
- । ई पि शिकनाए कि किनाम घोष्र प्राप्तांप्रपृष्ट म्हिर्याज्ञ अर्प इंटरनेट प्रीधागिक कि जिसके अंतरिष्ट्रीय

। ।गिंड ।म्प्रक न्याप प्रदेशम नाह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होगा । िष्मण : जिसको हिंदी का कार्यसाधक ह्या नहीं है, उसे एक वर्ष अपनी

> निमिने के पांगी उपखंद, अंदमान नाभक्त तथा ताथा यम्बा-खंद, हिमायल प्रदेश के लाहोल जम्म-कश्मीर राज्य के लहाख (मफिि) ,।प्रपृही ,रुक्षागान , प्रमाणीम मियोरम, , IS SR मेघालय, अर्फणाचल असम कि वह अतिम तारीख जो F) । गिनि छिपित मिनि है। कि नधने पृष्टी के निषक न्यार भारत में अभ्यथियों से आवेदन छिरि। कि निर्णायक करिए रियाग : आयु-सीमा अवधारित (प्रिमारी के लिए शिथिलनीय) जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य मरकारी कमेदारियों, अनुसूचित अनुदेशों या आदेशों के अनुसार गुम् गुकी शिक्त प्रम प्रमप्त केन्द्रीय सरकार हारा समय-

40 वर्ष तक (इस संबंध मे

कि मडीघी गृही के प्रिधिप्रमूह के

और निकाबार द्वीप या लक्षद्वीप

(1号 部

							भरी द्वारा ।			<u> </u>	के का	गुर्भा	
थिरि रम	स्किप्त	15	F	जिनके	,।प्राप्न	आमेलन	क्रीकृशिता <u>र</u>	华	व्यक्तियो	73	Thr	ग्रिभि	लागू नही होता
				11						10			6

CI

भिर्म निवास के फिलिन निवास पर पंस्कार उरुम् कान्त्रीय पर रिपक्रम स्थार प्र प्रावरम प्रदिक् --: मिन्निस्नितिय

-- रिकिश्री

(i) (क) में ने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्श पद धारण किया हुआ है; या

ए।) स्ट अर अशास प्रमायन में निर्म के कि अर अर अर कि कि कि कि एक 000 + 0क 0019E-0031 विकास

। जि कि 15 के घांप में गिर्ष एक ज्ञाड़प के त्रविष्टिन प्रप उप

। वि ति क्षेत्र क्षेत्र

मं गामठी वर नगम अवधि, जिससे कंन्यां प्रकार कंन्यां प्रकार कंन्यां सरकार के असी वर्ष कंन्यां संवारणता वर्ष इस नियुक्ति में वीक पहले घारिया किसी अन्य काडर बाह्य पर प्रपिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतथा पांच वर्ष

से अधिक नहीं होगी । त्याण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन

ः एकि के किनिक वेगकू

। गिर्मंड डिम् किशोर रि विष्

	T	
	सदस्य	किं किनीड़ि में गामठी फिलारमं फ्रिंगिमिठी किमीडिंग मिड्सू . ह
	सदस्य	(किपिडिप्रि) कहांस्न पर .ऽ
	अध्यक्ष	ी. प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक
બાર્ય નદી દોતા		: गिर्में प्रकानम कि तार्थालीन्मनी तीमीप्र तीर्हाए एगिएटी
t1	152	13

1	2	3	4	5	6
(9) वैज्ञानिक 'बी'	3* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'क' पद के समतुल्य	15600-39100 रु0 वेतन बैंड 3 + 5400 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8
30 वर्ष तक (इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिए शिथिलनीय)	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक डिग्री; (ii) भौतिकी या अनुप्रयुक्त भौतिकी या इलैक्ट्रानिक्स या अनुप्रयुक्त इलैक्ट्रानिक्स या रेडियो भौतिकी और इलैक्ट्रानिक्स या अन्य किसी संबद्घ विशेषज्ञता में और या विषय में कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातकोत्तर विज्ञान
टिप्पण : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)	डिग्री ; (iii) कुल 60 प्रतिशत अंकों के साथ एम0सी0ए0 । वांछनीय अर्हताएं : विज्ञान और प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री ; या पी0एच0डी0 । टिप्पण : जिसको हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान नहीं है, उसे एक वर्ष की अपनी परिवीक्षा अविध के दौरान यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना होगा ।

9	10	11
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष	प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने 9300-34800 रु0 + 4600 रु0 के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष सेवा की हो ; या
- (ii) जिन्होंने 9300-34800 रु0 + 4200 रु0 या समतुल्य के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में नियमित आधार पर उस

पद पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में आठ वर्ष सेवा की हो ।

(ख) स्तंभ 8 के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित किए गए अर्हताएं और अनुभव रखता हो ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

भूतपर्व सैनिकों के लिए :

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष की अविध के भीतर सेवानिवृत होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं । ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है । तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है ।

13	一种 不	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता
1. उप नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	अध्यक्ष	
2. सहायक नियंत्रक (प्रौद्योगिकी)	सदस्य	
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से वैज्ञानिक 'एफ'	सदस्य	

1	2	3	4	5	6
(10) निजी सचिव	4* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'बी' पद के समतुल्य	9300-34800 रु0 वेतन बैंड 2 + 4800 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन
	rearing to large			

<u>प्रतिनियुक्ति</u>:-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने 9300-34800 रु0 वेतन बैंड 2 + 4200 रु0 ग्रेड वेतन में आशुलिपिक श्रेणी 'सी' या वैयक्तिक सहायक या समतुल्य की श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो ।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

	1.1.5
	14
	लागू नहीं होता
अध्यक्ष	
सदस्य	
सदस्य	
	सदस्य

1	2	3	4	5	6
(11) वैयक्तिक सहायक	6* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'बी' पद के समतुल्य	9300-34800 रु0 वेतन बैंड 2 + 4200 रु0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

प्रतिनियुक्ति :-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने आशुलिपिक, श्रेणी 'डी' 5200-20,200 रु0 वेतन बैंड 1+2400 रू0 ग्रेड वेतन में दस वर्ष नियमित सेवा की हो ।
- (ख) कम्प्यूटर प्रचालनों, जैसे पी.सी., वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट और ई-मेलिंग का उपयोग और प्रचालन, की जानकारी।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13		14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :		लागू नहीं होता
1. निदेशक (प्रशासन और वित्त), प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक	अध्यक्ष	
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य	
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से उप सचिव, भारत सरकार अथवा इसके समतुल्य	सदस्य	

11	2	3	4 11 11	5	6
(12) सहायक	2* (2009) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।)	केन्द्रीय सरकार में समूह 'बी' पद के समतुल्य	9300-34800 रू0 वेतन बैंड 2 + 4200 रू0 ग्रेड वेतन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

7	8	9	10	11
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन

स्रिंग निवास के प्रिकित निवास या स्वास स्वास का प्राक्तिक क्षेत्रक नः स्वास निवास के अधी मिलक स्वास निवास के अधी कि अधी

(1) जिन्हों मूल काढर या विभाग में नियमित आधार पर सद्श पद धारण किया हुआ है ; या

कि ,मिलाहप प्रीह पिछ्म क एन्निम-ड्रे प्रीह उन्प्रडंड ,पांग्रीमिप डेड ,पीर.पि मिर्फ ,पेनाहप प्रडापनक (छ) ।शिकनाए

मिन्या १-ग्रिनियुन्ति के अवधि, जिस्से अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में के प्रकार के उसी प्रकार के अवधि के प्रवास के अवधि के अव

सिंह निर्मात क्षेत्र क्षेत्र

	संस्कार अजवा ईसक् समयेब्ज
	3. सूचना प्रोधीकिकी विभागिकम् मंत्रालय/विभाग से उप सविव, भारत
	प्रभाव किमिकि, (कमिक), कार्यन निर्वेश मण्डम .S
	ा हाध्यह कहंग्रेस एफकशीए नाणम्प ,(प्रठी प्रीक्ष नामाप्रए) काष्ट्रेस . I
બાર્ન નદી દોતા	: गिर्मे रुकाली के त्राधीलीन्मेनी तीमीक्ष तीहाँए प्रगिगामी
٦١	13

13	खागू नह	हम्म होता होता	5200-20200 रू0 वेतन बैंड 1 + वेतन	प्राक्ष प्रस्किक् भि भूसे में के इप क्षिमी	3* (2009) *(कार्यभार के आधार पर (1 ई ांक्कम ाज्या किया है।)	आश्रीलिपिक आश्रीलिपिक
	9	9	Þ	3	2	1

निम्हिकुर्रिम (i) । निम्हिकुर्रिम (ii) काष्ट्र उनमी निम्ह अह का में मिलीष्ट्रास (ii) काष्ट्र प्रकार का	भड़ । जिह के के 72-81 । प्रिड प्रकश्म प्रहेन्के में छंडंमें प्रकी शिष्ट प्रम प्रमम-प्रमम् के रिड्डांस ए रिड्डेन्स प्रम् (एशीह्मेक शिक्तभ प्रमम्स निध्मुम्स\नीाण निध्मुम्स के रिड्डांस प्रमाणना के रिड्डांस स्वाप्त स्व
8	L

ſ	9	10	11
	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हुए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति आमेलन द्वारा, जिनके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रतिनियुक्ति:-- केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वायत निकायों के अधीन ऐसे अधिकारी--

- (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हुआ है ; या
- (ii) जिन्होंने निम्न श्रेणी लिपिक की श्रेणी 5200-20,200 रु0 वेतन बैंड 1+1900 रु0 ग्रेड वेतन में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो और आशुलिपि में 80 शब्द प्रति मिनट और टंकण में 40 शब्द प्रति मिनट की गति हो ।
- (ख) कम्प्यूटर प्रचालनों, जैसे पी.सी., वर्ड प्रोसेसिंग, इंटरनेट और ई-मेलिंग का उपयोग और प्रचालन, की जानकारी।

टिप्पण 1--प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 2--प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

13	14
विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :	लागू नहीं होता
1. निदेशक (प्रशासन और वित्त), प्रमाणन प्राधिकरण नियंत्रक अध्यक्ष	
2. संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (कार्मिक), सूचना प्रौद्योगिकी सदस्य विभाग	
3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/अन्य मंत्रालय/विभाग से अवर सचिव, भारत सदस्य सरकार अथवा इसके समतुल्य	

[फा. सं. 1(5)/2005-पर्स-III] आर. के. मनचन्दा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th September, 2009

G.S.R. 647(E).—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of Section 87 of the Information Technology Act, 2000 and in supersession of the Department of Information Technology, Office of Controller of Certifying Authorities (Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 2003, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Gazetted and Non-Gazetted posts in the Office of Controller of Certifying Authorities, a statutory body under the administrative control of the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, namely:—

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Department of Information Technology, Ministry of Communications and Information Technology, Controller of Certifying Authorities, Gazetted and Non-Gazetted posts Recruitment Rules, 2009.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (l) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.
- 4. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the aforesaid Schedule.
 - 5. Disqualification.—No person,
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.
- 7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether Selection post or non- selection post	Whether benefit of added years of service, admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits	Education and other qualifications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)Deputy Controller (Technology)	*1(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400- 67000 with Grade Pay of Rs.10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if any	Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
. 9	10	-11	12
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer (absorption)	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings – (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) (i)* possessing Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with fifteen years experience in the field of Information Technology; or (ii) master's Degree in Engineering or Technology from a recognized University with twelve years experience in the field of Information Technology; or (iii) masters Degree in Science or Computer Applications, 'B' level Department of Electronics Accreditation Course (DOEACC) or equivalent with twelve years

4000	(iv) Ph.D in Science or	Engineering	with	ten	years	experience	in	the	field	of	Informati	on
	Technology; and											

(C) minimum two years experience in the field of Information Technology related areas. **

* The above degrees are desirable in the following disciplines:

Computer Engineering, Electronics and Communication Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Computer Science, Physical and Mathematical Sciences and such other related disciplines.

- ** The relevant experience in Information Technology related areas means specifically the design, development, implementation and/or policy formulation of systems in one or more of the following areas:
- E-commerce solutions
- Security in E -commerce Applications incorporating network security, secure-web services, client browser interface, etc.
- Knowledge of public key cryptography including authentication through digital signatures
- Knowledge of networking and internet technologies including knowledge of International Telecommunication Union (ITU) standards

Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post/grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case of officers from the Central/State Governments.

Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.

Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

For Ex-serviceman:

The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
13	14		
The Departmental Promotion Committee consisting of:	Not applicable		
i) Secretary - Chairman			
Department of Information Technology			
ii) Controller of Certifying Authorities - Member iii) An officer of the level of Additional - Member			
Secretary to the Government of India			

1	2	3	4	5	6	7	8
(2)Deputy	*1(2009)	Equivalent to	PB-4	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Controller	*Subject to	Group 'A' post in	Rs.37400-				
(Finance and	variation	Central	67000 with				
Legal)	dependent on	Government	Grade Pay of				
The parties in	workload		Rs.10000		Mary Control of the Control		

9	10	11	12 The second of
Not applicable	Not	By deputation/	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public
	applicable	transfer (absorption)	Sector Undertakings –
			(A)(i)holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
		1-belief	(ii) with two years regular service in the grade rendered after appointmen
			thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with
		1930	Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or Department; and
		2000	(B) (i)Essential Qualifications: Possessing Bachelor's degree in any discipline from
	1.	patra.	a recognized University and Chartered Accountancy or Institute of Cost and
		1 Kits emag	Works Accountancy or Company Secretary or Master of Busines
		A Appropriate	Administration/Public Administration or Master of Commerce or Pos
		The state of the s	Graduate Diploma in any discipline with Diploma in Financia
		The state of the s	Management.
		The state of	(ii) Desirable Qualification: LLB or Post Graduate Diploma in Cyber Law
		The second second	from a recognized University, and
		The state of the s	(C) (i) possessing fifteen years experience in legal practice experience in the field
			of financial matters with emphasis on legal matters; and
			(ii) including experience of minimum two years in the field of Finance such a
			business management, trade, industry, banking or experience in the field o
		Aleria xiria	academics in the areas of business management, trade, industry, banking
		The second second	and legal matters such as e-governance, networking, intellectual property
			rights, cyber laws, e-commerce or experience in the field of academics in
		Latin Antique	the areas or e-governance, networking, intellectual property rights, cyber
		Ru's	laws, e-commerce.
		1/10. 13	Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be
		de la	permanently absorbed in the post/grade after recommendation by the duly
		en Mari	constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case o
		3 (S) (M) (4)	officers from the Central or State Governments.
,		A The Park of the	Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre
			post held immediately preceding this appointment in the same or other
			Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed
			five years.

13		a we work the purities with 14 carries as being the parties.
The Departmental Promotion Committee consist	ing of:	Not applicable
		and the property of the animal former to be a possible defined by
i) Secretary	- Chairman	and the state of t
Department of Information Technology		nd of a common a calcing period on departure in contra
ii) Controller of Certifying Authorities	- Member	A LECONDAIR SING POWER OF
iii) Additional Secretary, Ministry of Law	- Member	proceeding the control process and a stage of the control of the c
		particle of the area in the marking of the control of the second

1	2	3	4	5	6	7	8
(3)Deputy Controller (Investigation)	*1(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400- 67000 with Grade Pay of Rs.10000	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

9	10	11	12
9 Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer (absorption)	Deputation: Officers of the Central Government or State Governments or Public Sector Undertakings:- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in the Pay Band (PB-4) of Rs.37400-67000 with Grade Pay of Rs.8900 or equivalent in the parent cadre or Department; and (B) Essential Qualification: Possessing Bachelor's degree in any discipline from a recognized University, knowledge of Computers and programmes,
			recognized University, knowledge of Computers and programmes, networking and working on Internet and L.L.B. or Post Graduate Diploma in Cyber Laws and other related Laws. (C) (i) possessing experience of fifteen years in Personnel, Administration, Investigation, Vigilance and (ii) Including minimum two years experience of Investigation of Cyber crimes. Transfer: Under the provision transfer, the officer who will come may be permanently absorbed in the post or grade after recommendation by the duly constituted Selection Committee. Such a transfer is effected only in the case of
			officers from the Central or State Governments. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not
			exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications. For Ex-serviceman: The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.

13	14
The Departmental Promotion Committee consisting of: i) Secretary - Chairman	Not applicable
Department of Information Technology ii) Controller of Certifying Authorities - Member	
iii) An officer of the level of Additional Member	

[भाग II—खण्ड 3(i)]

1	2	3	4	5	6	7	8
(4)Assistant Controller (Technology)	*2(2009) *Subject to variation dependent on workload	Equivalent to Group 'A' post in Central Government	PB-4 Rs.37400- 67000 with Grade Pay of Rs.8900	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	1
- 11	1
	1 7
1	1
11	1
- 1	1
- 11	1
1.1	1
5.8	1
- 1	1
	4
1.5	1
5.1	1
1.8	ł
1	1
7.8	1.3
- 11	James
3.1	1. began
3.1	Sidne)
11	Josephon
11	Jak d
	10
1	Louis al
11	TO
11	1997
3.1	KETTE OF IN
1 1	Long
11	EIH
7.1	bone
11	reed d
1.1	(paper)
3-1	Sugar
3.1	1
2	ALC:
9 1	150
1.4	FOF
7.1	arren d
1	Inhon
2.1	(C)
2-12	distant
1.1	DIA:
	hanne
3.1	A:E
1.4	- paleste
2.4	
11	beaut
13	
1.1	R.d
1.1	M
100	home
1.5	been
	100
1	1
The section of the se	July 1
	0
1 1	-
1	
11	present.
	V
2.4	Imam
	DIN
111	dieni
	D
111	august .
131	N
1.5	1
1.8	1
1	
11	
1.1	
111	
1	
1 1	
114	
1.11	
13	
111	
1 10	ummig.
114	no.
1 1 4	\$450 W
1.14	100

*		-3	4	The state of the s	l o		4		
(4)Assistant	*2(2009)	Equivalent to	PB-4	Not	Not applicable	Not	Not applicab		
Controller	*Subject to	Group 'A' post in	Rs.37400-	applicable		applicable			
(Technology)	variation	Central	67000 with						
Complete Complete	dependent on	Government	Grade Pay of						
Technology/Otl	her Ministry/De	partment	Rs.8900						
	nt of Informatio		The same of the sa			*********************************			
to the Governm	ent of India or I	quivalent		7.3.2.1	12		THE CAN		
		Secretary (1911) OL			ntral Government or S	tate Covernmen	is of Public Set		
	ponse Team) or		- Member 188 -		And the lates of the them	menintaring recording the	Demartmant or		
ii) Director Gener		onterprocedumou)	(VI)(I) DOTONIR	anatogous post	on regular basis in the	parent cours of	expandanen, o. Mountment the		
Information Tec		III OI	Charles and	o years regard	service in the grade i Pay Band (PB-4) of I	2 < 37400-67000	with Grade Pa		
i) Controller of Co Additional Secr			R< 8700	or equivalent i	n the parent cadre or E	Department; and			
i) Cantuallan CC	1:6:		(B)Essential	Oualification:(1)	* Possessing Bache	for's degree in	n Engineering		
The Departmental	Promotion Con	nmittee consisting of:	Technology w	ith thirteen year	s experience' in the 14	of applicable 110	n Technology; (
		13	(ii) Master's	Degree in Engir	neering or Technology	wi l4 ten years	experience in		
			field of Ir	dormation Tech	nology; or				
			(iii) Masters E	Jegree in Scient	ce or Computer Appli	cations or 'B' le	vel Departmen		
			Electronics Accreditation Course (DOEACC) or equivalent with thirteen, yes						
			experience in the field of information Technology; or coursing the appointment of such beisous the eight years experience in the field						
			The armed forces personnel due to retire of who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be						
1 1 1 - 1			For Ex-services		e to fetire of who are	to be transferred	To reserve ust		
					date of receipt of appl	reations.			
					if for appointment on				
			held immediate	ely preceding t	his appointment in the	e same or othe	r Organization		
			Note 1: Period	of deputation i	ncluding period of de	putation in ano	ther ex-cadre po		
			Central/State C	iovernments."" Aejoblucus liub	lementatión and/or po 	ney tormulation	r of systems in		
			Committee.	Such a transfer	r is effected only in				
					transfer, the officer witer recommendation 1				
			1		ey cryptography inclu-				
			signatu		Wine and Intermed too	hadrene inclu	dinin beranieda		
			- PHOME	cure or nermor	king and Internet tec punication Union (FIL	monagna mem	ring wood Snin		

		^	4	5	6	7	8
1	2	3		Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
(5)Assistant	*1(2009)	Equivalent to	PB-4 Rs.37400-	Not applicable	. tot approach		
Controller	*Subject to	Group 'A' post in	67000 with				
(Finance and	variation	Central				The state of the s	
Legal)	dependent on	Government	Grade Pay of				
	Workload	Covernment	Chade Payof				Lather to
	dependent on		6 A000 with		12		
Investigation)	variat10	Canal 11	101 - 10110	Officers of the I	Central Governme	nt or State Gover	nments or Public
Not applicable	Not applicable	By deputation or transfer	Deputation Sector Unde	officers of the contact of the conta	Central Governme	.Not applicable	Not applicable
1	5	(absorption)	(A)(i) holdin	ng analogous post	on regular basis in service in the grad	the parent cause of	anointment thereto
.comoros XX	Wher Mirustry/De	partenent	on a of Rs (B) (i)Essen	regular basis in the s.8700 or equivalential Qualifications	e Pay Band (PB-4) Int in the parent cac Possessing Bach Postered Accounts	lre or Department; elor's degree in an	and y discipline from f Cost and Work
Additional Se Information I ii) Director Ger Emergency R iii) An officer o	Certifying Authoritetary, Departme	at of puter Equivalent Secretary Equivalent	Administrative With Diplor (ii) Desirab recognized (C) (i) possifield (ii) min man in the	tion or Master of (na in Financial Ma le Qualification: I University, and sessing thirteen ye of financial matte imum two years agement, trade, in the areas of busines	ears experience in the experience in the dustry, banking or s management, tra	legal practice and in legal matters; ar field of Finance experience in the de, industry, bank	Cyber Laws from I experience in the description of a such as business field of academic ing and experience tellectual proper
			right area e-co Transfer:	ts, cyber laws, e-c s of e-governance mmerce. Under the provis	ommerce or exper	e officer who w	rights, cyber law
			constituted officers from Note 1. Pe held imme Department	Selection Community the Central/Star article of deputation diate y preceding at of the Central G	including period this appointment overnment shall or the closing date	of deputation in ar in the same or oth dinarily not exceed intment on deput	nother ex-cadre poner Organization of five years. ation shall be re-

		13			14			
1 1	he Departmental Pror	motion Committee	consisting of:		Not applicable			
ii)	Controller of Certify Additional Secretary Information Technol Director General (In Emergency Respons) An officer of the le	Department of ogy dian Computer se Team) or Equivalent of Joint Secreta	ary - Member					
	to the Government of from Department of	India or Equivate	carr also be considere	o tot appointment of	short persons.			
	Technology/Other M			ic year and having	the requisite qualification	us sun exheueire		
	- comoragi offici i	mistry is epartine	The armed forces pe	sisbunet due to retu	is or who are to be trai	Jetorrod to reserv		
1	2	3	4 For Ex-servicement	5	6	7		
7) Director Finance and	1* (2009) *Subject to	Equivalent to Group 'A'	PB-4, Rs.37400-67000 + 110 Not ar Rs.8700 Grade Pay 3 106 1038x113	pplicable.	Not applicable.	Not applicable.		
Administration).	variation dependent on	post in Central Government.	Department of the Ce	eceang ans appoun ntral Government st	ment in the same or oth fall ordinarily not exceed	TIVE YEARS.		
	workload.	Government.	Note 1: Period of dep	outation including pe	anod of deputation in and	ther ex-cadre pos er. Organization o		
0.			198777610 1170111 1170111111111111111111111	aries and a service	2000			
8.	N. 4 1: 13	9	officers from the Cen	tral/State Governme	11			
Not applicable.	Not Applicable		Not applicable.	By deputation	on or transfer (absorption)		
	12		Fransler: Under the	brossion transfe	An about an amountain	n cont hay o		
Deputation: Office	cers of the Central Go	Vicenza de Ct. 1		1.5		14		
(i) holding and department (ii)Deputy Secr grade rend	ertaking or autonomo alogous post on regi	us bodies,- ular basis in the performance with five year nt thereto on regul	rs service in the lar basis in the rade Pay.	Sbowes Seamessing Sale (Indian Combate iterate and L.L.B. of University and relate Seatty inge of thirt Vigitance and	Membapr's degree in an Computers and program or Post Graduate Diplon Chaitman: cen years in Personne	y discipline from nmes, networkin na in Cyber Law		
r other organisa	f deputation including d immediately precedution or department of eed five years.	ling this appointment of the Central	tion in another and in the same yearnment shall 3. Joint Secretary (11) of India or Equivernment 0.5.	Intomation regular b in spent thousage in the to the Godern heart equivalent in the part	asis in the parent cadre of se grade rendered after a (PB-4) of Rs.37400-6709 ent cadre or Department;	r Department, or opointment theret 00 with Grade Pa and		



1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2		4	5	6		7
(8) Scientist	5* (2009)	Equivalent to	PB-3.	Not applicable.	Not applicable.	Upto 40 years (r	relaxable for Government
within a per-	exactation has	gGroup: Ashpistu nimGentrakius (p nGovernment a.po	a 30d00tto desp	ifications and		Other Backward	Iled Caste/ Scheduled Tribe/ Classes in accordance with the rders issued by the Central m time to time in this regard).
winder of Mote 1: Period post held im exceed five ye	ng qualification column 8. I of deputation i prediately prec or department of rars. raximum age I	s and experience p neluding period of eding this appoil of the Central Go imit for appointm the closing date of	deputation in an amenic in the standard the shall vernment shall ent on deputation	other ex-cadre ame or other ordinarily not	(Technology). Scientist 'G' from Department of Infort Technology/ other Ministry/ Department	limit shall be the applications from closing date president Meghalaya, Aru Manipur, Nagala Division of James and Spiti District Champa District territory of Anda	al date for determining the age e closing date for receipt of an candidates in India (and not scribed for those in Assam, nachal Pradesh, Mizoram, and, Tripura, Sikkim, Ladhak and and Kashmir State, Lahaul t and Pangi Sub-Division of of Himachal Pradesh, the Union aman and Nicobar Islands or the of Lakshadweep).
1	de Andreits de la reconstruir de la constitución de	far basis in the Pr	the state of the s	of Rs.15600- 2.	Deputy Controller		
	h five years so	ervice in 8the grad	e rendered afte	r appointment	9	10	11
(ii) M.Sc. in Place Radio Physodiscipline at	60 percentage in hysics or Appli- ics and Electr least 60 percent	age marks in aggre	presize to the perturbation covern the transfer of the perturbation of the perturbatio	neur caque on prediction and or	ne Departmental Proms nsisting of:- Controller of Certify Note Wabhlicaple:	One Year for usu	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment. Not Applicable
(iii) MCA with a	itleast 60 percen	itage marks in aggi	egate.		13		74
recognized unive	rsity: quanta process of concerns for can appears for can appeare and either the field of Intent, implement wing areas:	didates holding D ght years for cand information Technology tation or policy Applications incorp	ormulation of tages of the control o	po or spe is redifficents for candidates achelor's Degree as, specifically in externs in one or	q d		

-	Knowledge of public key cryptography including authentication through digital		
	signatures.		
-	Knowledge of networking and internet technologies including knowledge of		. 7
1	International Telecommunication Union (ITU) standards.		
Not	e: Whoever does not have the working knowledge of Hindi, he or she is required		
to a	equire the same during his or her probation period of one year.	1	

12	13	14
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-	The Departmental Promotion Committee consisting of:-	Not Applicable
 (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band (PB-3) of Rs.15600-39100 + Rs.6600 Grade Pay or equivalent; and (b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 8. 	 Controller of Certifying Authorities - Chairman. Deputy Controller (Technology) Member. Scientist 'G' from Department of Information 	
Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.	Technology/ other Ministry/ Department Member.	
Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.		
For Ex-Serviceman: The armed forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite qualifications and experiences can also be considered for appointment of such persons.		



1	2	3	4	5	6	7
(9) Scientist 'B'.	3* (2009) *Subject to variation dependent on	Equivalent to Group 'A' post in Central Government.	PB-3, Rs.15600- 39100 + Rs.5400 Grade Pay	Not applicable.	Not applicable.	Upto 30 years (relaxable for Government servants, Scheduled Caste/ Scheduled Tribe/ Other Backward Classes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time in this regard).
rest held smeaths readstation or der acceed two year vote 2. The maxim acceeding fully six y or 1 x-servicement	athrent of the arm age unor cars as en the runnel tale to	this appointing Cartiel Gove Ca appointment chang date of t reter or who a d baying the	pulear an another ca- car in the same or- on depotation shall of a cip. of applications. The transferred to re- called pression.	Sther, y and or by		Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladhak Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Champa District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).

A business of a manufacture 8 or a large part business and 10	9	L. French	10	11
(i) Bachelor's degree in Engineering or Technology from a recognized University with atleast 60 percentage marks in aggregate; or	Not Applicable	k. Ketenti	One Year for direct recruits.	By deputation/ absorption failing which by direct recruitment.
 (ii) M.Sc. in Physics or Applied Physics or Electronics or Applied Electronics or Radio Physics and Electronics or any other related specilisation and or discipline atleast 60 percentage marks in aggregate; or (iii) MCA with atleast 60 percentage marks in aggregate. 	greet rader or er supo-nament iks 9360- sisad	• i jačijuo		APAI)
Desirable Qualification: Master's Degree in Science or Technology: or Ph.D.		rodetensk n Highlichard		ree Not Applicable
Note: Whoever does not have the working knowledge of Hindi, he or she is required to acquire the same during his or her probation period of one year.				

Deputation: Officers of the Central Government or State Government	13	14
Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band (PB-2) of Rs.9300-34800 +Rs. 4600 Grade Pay; or (iii) with eight years regular service in the Pay Band (PB-2) of Rs.9300-34800 + Rs. 4200 Grade Pay. (b) possessing qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column 8.	The Departmental Promotion Committee consisting of:- 1. Deputy Controller (Technology) Chairman. 2. Assistant Controller (Technology) Member. 3. Scientist 'F' from Department of Information Technology/ other	Not Applicable
lote 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre ost held immediately preceding this appointment in the same or other reganisation or department of the Central Government shall ordinarily not sceed five years. Ote 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall not be sceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Technology/ other Ministry/ Department Member.	The state of the s
thin a period of one year and having the requisite qualifications and periences can also be considered for appointment of such persons.		

-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10) Private	*4 (2009)	Equivalent to	PB-2,	Not	Not	Not	Not	Not
Secretary.	*Subject to	Group 'B' post in	Rs.9300-	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable
+ J 101	variation	Central	34800 +					
	dependent on	Government.	Rs.4800			2		
	workload.		Grade Pay					v 1 14

10	11	12
Not Applicable.	Deputation/ absorption.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-
		(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years regular service in the grade of Stenographer Grade 'C' or Personal Assistants or equivalent in the Pay Band (PB-2) of Rs.9300-34800 + Rs. 4200 Grade Pay. Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding Fifty Six years as on the closing date of receipt of applications.

13		
The Departmental Promotion Committee con	sisting of:-	Not Applicable
1. Additional		and the professional properties and the state of the properties of
Secretary/ Joint Secretary (Personnel),		to a spin press a rate from a rate, the department of the section of
Department of Information		
Technology	- Chairman.	
		The state of the second of the state of the second of the
2. Director (Admin. & Finance)		
Controller of Certifying		
Authorities.	- Member.	
3 Deputy Secretary to the		
Government of India or equivalent from		and the first of the first of the state of t
Department of Information Technology/ o	ther	
Ministry/ Department.	- Member.	

1	2	3	16121144	5	6	7	8	9
(11)	*6 (2009)	Equivalent to	PB-2,	Not	Not	Not '	Not	Not
Personal	*Subject to	Group 'B' post in	Rs.9300-	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.
Assistant.	variation	Central	34800 +					
	dependent on	Government.	Rs.4200				-	
	workload.	- b	Grade Pay				3 4 1914	

10	11	12
Not Applicable.	Deputation/ absorption.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-
	Reda Source	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with ten years regular service in the grade of Stenographer grade 'D' in the Pay Band (PB-1) of Rs.5200-20200 + Rs. 2400 Grade Pay.
		(b) Knowledge of computer operation such as usage and operations of P.C, word processing, internet and e-mailing.
		Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
		Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

13			14			
The Departmental Promotion Committee consisting	0.5.92(3.0.44)	Not Applicable.				
1. Director (Admin. & Finance), Controller of Certifying Authorities.	- Chairman.					
2. Joint Director (Personnel), Department of Information Technology	- Member.					
3. Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from Department of Information Technology / other						
Ministry/ Department.	- Member.					

1	2	3	4	5	6	7	8 .	9
(12)	*2 (2009)	Equivalent to	PB-2,	Not	Not	Not	Not	Not
Assistant	*Subject to variation	Group 'B' post in Central	Rs.9300- 34800 +	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.	Applicable.
	dependent on workload.	Government	Rs.4200 Grade Pay	Commune in an		Ast Acto immegrate		

10	11, 11,	The second control of
Not Applicable.	By deputation/ absorption.	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-
		(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with ten years regular service in the grade of Upper Division Clerk in the Pay Band (PB-1) of Rs.5200-20200 + Rs. 2400 Grade Pay.
		Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
	•	Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

13	and, a design control	14
The Departmental Promotion Committee consisting of:-		Not Applicable.
Director (Admin. & Finance), Controller of Certifying Authorities C	hairman.	Casto companer enginement Scheduled onet his utage and Figure Other apprenants of P.C.
2. Joint Director (Personnel), Department of Information Technology - M	ember.	Government - with mind 40 wip bits - convenient - in typewithing - in Scheduled - implementable - of - in the convenient - in
3. Deputy Secretary to the Government of India or equivalent from Department of Information Technology / other Ministry/ Department.	ember.	Selvcen 'V rithus caleton Not NOT years mispessessing speed in Applicable Relacable for Verrinand in 89

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	*3 (2009)	Equivalent to	PB-1, Rs.5200-	Not Applicable.	Not	Between 18-	(i)Matriculation.	Not
Stenographer.	*Subject to	Group 'C' post in	20200 +		Applicable.	27 years.	(ii)possessing speed in	Applicable
	variation	Central	Rs.2400 Grade		1	Relaxable for	shorthand @ 80	
	dependent on	Government.	Pay	The second second		Government	w.p.m. and 40 w.p.m.	
	workload.	To all the last of				servants,	in typewriting.	
		The second second	a.			Scheduled	(iii)Knowledge of	
			-			Caste/	computer operation	
						Scheduled	such as usage and	
						Tribe/ Other	operations of P.C,	
	The select the select	A Secretary Assessed				Backward	word processing,	
						Classes in	internet and e-mailing.	
						accordance	Note: Whoever does	
						with the	not have the working	
					Contract Special Contract	instructions or	knowledge of Hindi,	
		1, 13	The state of the s		Three in the state of	orders issued	he or she is required to	
	The state of the s				I Same	by the Central	acquire the same	
				The same of the same	The second second second	Government	during his or her	
				1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	and the party of t	from time to	probation period of	
		- Hyrapatak				time in this	two year.	
				The same of the lands	A	regard.	Andrew Charles	

10	11	12
Two years for	Deputation/	Deputation: Officers of the Central Government or State Government or public sector undertaking or autonomous bodies,-
direct recruits.	absorption	(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or
	failing which	(ii) Lower Division Clerks in the Pay Band (PB-1) of Rs.5200-20200 + Rs. 1900 Grade Pay with eight years regular service
	by direct	and possessing speed in shorthand @ 80 w.p.m. and 40 w.p.m. in typewriting.
	recruitment.	(b) Knowledge of computer operation such as usage and operations of P.C, word processing, internet and e-mailing.
		Note 1: Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this
		appointment in the same or other Organization or Department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years.
	Astistant	Note 2: The maximum age limit for appointment on deputation shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of
1		receipt of applications.

13	14
The Departmental Promotion Committee consisting of:-	Not Applicable.
Director (Admin. & Finance), Controller of Certifying Authorities. Chairman.	
Joint Director (Personnel)/ Deputy Director (Personnel) from Department of Information Technology - Member.	
3. Under Secretary to the Government of India or Equivalent from Department of Information Technology / other	
Ministry/ Department Member.	

[F. No. 1(5)/2005-Pers.-III]
R. K. MANCHANDA, Jt. Director